तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/टी.ए./7559/2006/बीकानेर कैलाश बनाम महावीर प्रसाद स्वामी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जी. एस. लखावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री जे.पी. माथुर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 10.09.2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार, राजस्व, कोलायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–10–2006 को आक्षेपित किया गया है, जिसके द्वारा प्रार्थी को विवादित आराजी पर अतिचारी घोषित किया जाकर बन्द कदीमी प्रचलित रास्ते को खुलवाया जाने का आदेश पारित किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत केवल एवं केवल ऐसे प्रकरण ही लिये जाने चाहिए जहां अन्यथा अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान नहीं हो। राजस्व मण्डल द्वारा उन्हें प्रदत्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग उन आदेशों में गम्भीर अवैधानिकता अथवा अनियमितता होने पर ही किया जाना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, राजस्व, कोलायत के समक्ष प्रचलित रास्ते को खुलवाये जाने बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार द्वारा दर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/टी.ए./7559/2006/बीकानेर कैलाश बनाम महावीर प्रसाद स्वामी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रजिस्टर करने के उपरान्त विपक्षी को तलब करने एवं हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब करने के बाद आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–10–2006 से प्रार्थी को विवादित आराजी पर अतिक्रमी घोषित कर बन्द रास्ते को खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को आक्षेपित किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के प्रार्थनापत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। न्यायहित में प्रार्थीगण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	